फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती भगवती बाई**

विपक्षी :– **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :– **74/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/268**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम भगु देवी पत्नी जगदीशचन्द्र नाम गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की प्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गादोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार श्रीमती कला पुत्री दामोदरलाल, श्यामलाल आमेटा पिता जमनाशंकर, हरिशचन्द्र पिता दामोदरलाल, हेमन्त कुमार आमेटा पिता दामोदरलाल, राकेशचन्द्र पिता दामोदरलाल आमेटा के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया का नाम भगवती बाई पत्नी जगदीशचन्द्र होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी भगवती बाई पत्नी जगदीशचन्द्र एवं भगु देवी पत्नी जगदीशचन्द्र को एक ही महिला होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही [illegible] देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तवि[illegible] ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण [illegible] प्रार्थीया को ग्रामीण परिवेश में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

लोग भगु देवी के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भगु देवी अंकित हो गया, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम भगवती बाई है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 135, 137, 319 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थीया का नाम भगु देवी पत्नी जगदीशचन्द्र के बजाय भगु देवी उर्फ भगवतीबाई पत्नी जगदीश चन्द्र संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested